न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 184 / 2022

1 सुलतान सिंह उम्र 75 साल पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.। मो.नं. 9414742212

अपीलांटस

बनाम

1 दया सिंह उम्र 60 साल पुत्र स्व. जीतु सिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
2 मातु सिंह उम्र 68 साल पुत्र स्व. जीतु सिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
3 रेवत सिंह उम्र 54 साल पुत्र स्व. जीतुसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
4 गजेन्द्र सिंह उम्र 51 साल पुत्र स्व. जीतुसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
5 समुन्द्र सिंह उम्र 49 साल पुत्र स्व. जीतु सिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.। मृत्यु
5/1 सुली देवी उम्र 40 साल पत्नी स्व. समुन्द्र सिंह पुत्र स्व. जीतुसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
5/2 राहुल सिंह उम्र 18 साल पुत्र स्व. समुन्द्र सिंह पुत्र स्व जीतुसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
6 राजेन्द्र सिंह उम्र 40 साल पुत्र स्व. जीतु सिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.
7 फुला देवी उम्र 85 साल पत्नी स्व. जीतुसिंह जाति राजपूत निवासी रायला उप तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं राज.। मृत्यु
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा हाल सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2005 उनवानी दया सिंह
आदि बनाम सुलतान सिंह आदि मु.नं. 33/2005

उपस्थिति :

1. श्री भंवरसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2005 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन व नक्शाशीट दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 185, 147, 214, 170, 173, 192 जिसके हाल खसरा नम्बर 57, 358, 383/306, 302, 381/5, 382/306, 414/305 वाके ग्राम रायला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का ईकबालिया बयान रेस्पोडेन्ट द्वारा श्री रामेश्वरदयाल वकील से मिली भगत कर पेश कर दावा निर्णय व डिक्री करवाया गया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 ने व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 फूल देवी ने अपीलान्ट की अंगूठा निशान फर्जी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लगाकर दावा डिक्री करवाया गया है। मूलवाद में वादीगण ने जा तथ्य अंकित किये गये है उनके अनुसार आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार वाद पत्र बनाये बिना दावा निर्णय व डिक्री करवाया गया है। जवाब दावा पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी फर्जी लगायी गयी है तथा ईकबालिया जवाब दावा को तस्दीक भी नहीं किया गया है इससे भी जाहिर है कि समस्त कार्यवाही फर्जी की जाकर निर्णय व डिक्री प्राप्त की गयी ह। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से मालुमात किया तो अपीलान्ट को दिनांक 25.07.2022 को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2005 का ज्ञान होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 25.07.2022 को जमाबंदी व नामान्तकरण संख्या 265 दिनांक 17.05.2006 का ज्ञान पहली बार होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 27.07.2022 को निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2005 की नकल प्राप्त करने का आवेदन पेश किया तथा नकल दिनांक 28.07.2022 को प्राप्त होने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2005 के विरूद्ध अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2005 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के विपरित होने से विधि में अपील करने की कोई मियाद नहीं है फिर भी यदि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर मानी जाती है तो अपीलान्ट की तरफ से देरी क्षमायाचना बाबत अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद माने जाने की आज्ञा फरमावें। मूलवाद मके वादी नम्बर 5 की मृत्यु होने से उसके विधिक प्रतिनिधियों को अपीलान्ट नम्बर 5/1 व 5/2 के रूप में अपील में पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाया गया है तथा मूलवाद की प्रतिवादिया नम्बर 2 फूला देवी का देहान्त होने से उसके नाम के आगे रेस्पोडेन्ट नम्बर 07 के रूप में मृत्यु अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने दिनांक 24.09.2005 की जानकारी दिनांक 25.07.2022 को होना मानकर 26.08.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2022 को यह अपील श्रीमान के यहां पेश की है। अपीलान्ट को उसकी खातेदारी की भूमि डिक्री दिनांक 24.09.2005 के अनुसार मिलने के बाद अपनी भूमि पर 14.09.2018 को ऋण लेकर भूमि को बैंक के अधिन रखा तब अपीलान्ट को उसकी भूमि के खाते की जानकारी थी। भूमि गिरवी रखने का रिकार्ड स्वयं अपीलान्ट ने पेश किया है। उपरोक्त के अलावा अपीलान्ट ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 381/305 को अपनी स्वयं की मान कर राजस्व रिकार्ड देखकर तथा भूमि खसरा नम्बर 306 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 दयासिंह की मानकर एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज. टे. एक्ट का उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के यहां दिनांक 30.04.2019 को पेश किया जो राजस्व रिकार्ड देख कर पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की जानकरी प्रारम्भ से होना प्रकट है। अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विचाराधीन निर्णय दिनांक 24.09.2005 के विरूद्ध दिनांक 26.08.2022 को 17 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट को दिनांक 25.07.2022 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी हुई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलान्ट सुलतान सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 22.03.2005 को अपीलान्ट के नाम जारी नोटिस स्वयं अपीलान्ट को तामील हुआ है। इस पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी अंकित है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का वकालतनामा भी प्रस्तुत किया हुआ है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट की अंगूठा निशानी का इकबाली जवाब दावा भी प्रस्तुत किया हुआ है। इन दस्तावेजात के संदर्भ में अपीलान्ट का कथन है कि यह दस्तावेजात कूटरचित है। इस संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का कोई साक्ष्य

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली पर नहीं है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रारम्भ से प्रकरण की जानकारी रही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्ट को उसकी खातेदारी की भूमि डिक्री दिनांक 24.09.2005 के अनुसार मिलने के बाद अपनी भूमि पर 14.09.2018 को ऋण लेकर भूमि को बैंक के अधिन रखा तब अपीलान्ट को उसकी भूमि के खाते की जानकारी थी। भूमि गिरवी रखने का रिकार्ड स्वयं अपीलान्ट ने पेश किया है। उपरोक्त के अलावा अपीलान्ट ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 381/305 को अपनी स्वयं की मान कर राजस्व रिकार्ड देखकर तथा भूमि खसरा नम्बर 306 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 दयासिंह की मानकर एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज. टे. एक्ट का उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के यहां दिनांक 30.04.2019 को पेश किया जो राजस्व रिकार्ड देख कर पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से होना प्रकट है। फलतः अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)